No. GAD (CC)1(A)30/2008
Government of Himachal Pradesh
General Administration Department
(Confidential & Cabinet)

From

Virbhadra Singh,
Chief Minister, Himachal Pradesh.

To

The Secretary,
Himachal Pradesh Vidhan Sabha,
Shimla-171004.

Dated: Shimla-171002 the 9th April, 2015.

Subject:- Introduction of Bills in the current session of H.P. Vidhan Sabha.

I have the honour to give notice of my intention to introduce the following Amendment Bills in the current session of Himachal Pradesh Legislative Assembly:-

1. The Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 2015.

2. The Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Amendment Bill, 2015.

3. The Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2015.

The recommendation of the Governor under Article 207 of the Constitution of India for its introduction and consideration of the State Legislative Assembly has been obtained.

I am, therefore, to request you to obtain permission from the Hon'ble Speaker to include the aforesaid Bills in the list of business for introduction, consideration and passing the same in the current session.

Three authenticated copies of aforesaid Bills along with Principal Act are enclosed.

Encls. As above.

Yours faithfully,

(Virbhadra Singh)
Chief Minister,
Himachal Pradesh.

2015 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 4 का संशोधन।
3. धारा 4–ख और 4–ख ख का प्रतिस्थापन।
4. धारा 5–क का संशोधन।
5. धारा 6 का संशोधन।
6. धारा 6–क का प्रतिस्थापन।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2015 है।

धारा 4 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में "एक हजार" शब्दों के स्थान पर "एक हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4 ख और 4–ख ख का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4–ख और 4–ख ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"4–ख. निर्वाचन क्षेत्र, कार्यालय और कम्पयूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर भत्ता.–(1) प्रत्येक सदस्य को साठ हजार रुपए प्रतिमास की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(2) प्रत्येक सदस्य को दस हजार रुपए प्रतिमास की दर से कार्यालय भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(3) प्रत्येक सदस्य को, को–टर्मिनस आधार पर कम्पयूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने हेतु बारह हजार रुपए प्रतिमास की दर से भत्ता संदत्त किया जाएगा।"।

धारा 5–क का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5–क में, "तीन हजार" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 6 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) और द्वितीय परन्तुक में, "पचहत्तर हजार" शब्दों के स्थान पर "दो लाख" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 6–क का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 6–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"6–क. भूतपूर्व सदस्यों को रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा अथवा राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा.–प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य अपने पति या पत्नी के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा भारत के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक लाख रुपए के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर होगा :

परन्तु वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या लोक परिवहन उपक्रम द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ट खर्चों, जो राज्य विधान सभा के सदस्यों को लोक प्रतिनिधि के रूप में सार्वजनिक जीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण उनकी विद्यमान उपलब्धियों में संशोधन की लगातार मांग रही है और सदस्यों की सुख–सुविधा समिति ने सदस्यों के भत्तों और अन्य परिलब्धियों में बढ़ौतरी करने की सिफारिश की है। इसलिए, उक्त समिति की सिफारिशों को स्वीकृत करने और सदस्यों के दैनिक भत्ते को 1000/– रुपये से बढ़ाकर 1500/– रुपये करने तथा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए 75000/– रुपए की विद्यमान सीमा को बढ़ाकर 2,00,000/– रुपये करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य, को–टॅर्मिनस आधार पर कम्पयूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने हेतु 12,000/– रुपए प्रतिमास के भत्ते का हकदार होगा। भूतपूर्व सदस्यों की दशा में, अब बीस हजार किलोमीटर के रेलवे टैरिफ के बजाए मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए सीमा एक लाख रुपए होगी। इसलिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैंशन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2015

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 6 के अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग तीन करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः जी0ए0डी0–सी (डी) 5–1/2015)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ....., 2015

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं :

4. यात्रा भत्ता.—(1) ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिरोपित की जाए, प्रत्येक सदस्य को संदत्त किया जाएगा :—

(i) ऐसा यात्रा भत्ता जो विहित किया जाए;

(ii) सभा या समिति के अधिवेशन में उपस्थित रहने में प्रत्येक दिन के लिए या अध्यक्ष के आदेशाधीन सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से सम्बन्धित किसी भी स्थान पर किसी अन्य काम–काज के लिए की गई यात्राओं के बारे में प्रतिदिन एक हजार रुपये की दर से विराम भत्ता :

परन्तु यदि किसी सदस्य को तत्समय प्रवृत्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अधीन सभा के अधिवेशन या अधिवेशनों से अनुपस्थित रहने के लिए आदेश किया गया है तो यह अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए ऐसा भत्ता प्राप्त करने का हकदार नही होगा :

परन्तु यह और कि सदस्य :—

(क) जहां वह सभा के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसे अधिवेशन की तारीख से एक या दो दिन पूर्व पहुंचता है या ऐसे अधिवेशन के स्थान से, उस तारीख से, जिसको सभा अनिश्चित काल तक स्थगित कर दी जाती है, ठीक एक या दो दिन पश्चात् प्रस्थान करता है वहां, यथास्थिति, पहुंचने और प्रस्थान करने के ऐसे एक या दो दिन के लिए; और

(ख) जहां वह किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसे अधिवेशन की तारीख से एक दिन पूर्व पहुंचता है या ऐसे अधिवेशन के स्थान से ऐसे अधिवेशन की समाप्ति से ठीक एक दिन पश्चात् प्रस्थान करता है, वहां पहुंचने और प्रस्थान करने के ऐसे एक दिन के लिए; विराम भत्ते का हकदार भी होगा;

(iii) जब कोई सदस्य अपने निवास के प्रायिक स्थान से अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए प्रस्थान करता है और अधिवेशन के पश्चात् वहां वापस लौटता है, तब सदस्य के निवास के प्रायिक स्थान से प्रस्थान के दिन के लिए पांच रुपये की दर से आनुषंगिक भत्ता और प्रायिक स्थान पर पहुंचने के दिन के लिए पांच रुपये की दर से अनुषंगिक भत्ते का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण–I–सदस्य को ऐसे पहुंचने या ऐसे प्रस्थान के प्रत्येक दिन के लिए विराम–भत्ता अनुज्ञेय होगा, चाहे पहुंचने और प्रस्थान का समय कुछ भी हो।

स्पष्टीकरण–II–सभा या समिति के दो आनुक्रमिक अधिवेशनों के बीच चार दिन से कम का विराम ऐसे सदस्य के लिए जो ऐसे विराम के दौरान ऐसे अधिवेशन के स्थान से प्रस्थान नहीं करता है, उपस्थिति का दिन या के दिन समझे जाएंगे :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी सदस्य को यात्रा भत्ते या विराम भत्ते का हकदार नहीं बनाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति उस स्थान से, जिस पर उसकी उपस्थिति ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में अपेक्षित है, पांच मील के भीतर किसी स्थान पर सामान्यतः निवास या कारबार करता है।

(2) जो सदस्य प्रतिदिन एक हजार रुपये की दर से विराम–भत्ता जैसा कि उप धारा (1) में उपबन्धित है, नहीं लेना चाहता है, वह 25 जनवरी, 1971 से वर्तमान सभा के विघटन तक कर्त्तव्य पर निवास की किसी अवधि के लिए प्रतिदिन पच्चीस रुपये की दर से भत्ते का हकदार होगा और ऐसी दशा में उप–धारा (1) के खण्ड (2) और (3) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण–I.–इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए 'कर्त्तव्य' पर निवास की अवधि से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान कोई सदस्य ऐसे स्थान पर जहां सभा का अधिवेशन या समिति की बैठक होती है या जहां ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्य से सम्बन्धित कोई अन्य काम–काज किया जाता है ऐसे अधिवेशन या बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या ऐसा अन्य काम–काज करने के प्रयोजन के लिए निवास करता है और इसके अन्तर्गत उस सदस्य के मामले के सिवाय जो ऐसे स्थान पर निवास करता है जहां सभा का अधिवेशन या समिति की बैठक होती है या जहां उस रूप में उसके कर्त्तव्य से सम्बन्धित कोई अन्य काम–काज किया जाता है–

(i) सभा के अधिवेशन की दशा में, अधिवेशन के प्रारम्भ से ठीक पूर्व तीन दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि और उस तारीख से, जिसको सभा के अनिश्चितकाल के लिए या सात दिन से अधिक की अवधि के लिए स्थगित किया जाता है, ठीक उत्तरवर्ती तीन दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि; और

(ii) समिति की बैठक या किसी अन्य काम–काज की दशा में समिति के काम–काज के प्रारम्भ से ठीक पूर्व दो दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि और समिति के काम–काज या अन्य काम–काज के समाप्त होने से ठीक पश्चात् दो दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि।

स्पष्टीकरण–II.–सदस्य को कर्त्तव्य पर निवास के लिए प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा, चाहे पहुंचने और प्रस्थान का समय कुछ भी हो।

4–ख. निर्वाचन क्षेत्र भत्ता.–प्रत्येक सदस्य को साठ हजार रुपये प्रतिमास की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी दिया जाएगा।

4–खख. कार्यालय भत्ता.–प्रत्येक सदस्य को दस हजार रूपये प्रतिमास की दर से कार्यालय भत्ता दिया जाएगा।

5–क. जल और विद्युत भत्ता.–प्रत्येक सदस्य, वास्तविक प्राप्तिकर्ता रसीद प्रस्तुत करने पर, उस द्वारा संदत्त विद्युत और जल प्रभारों की प्रतिमास तीन हजार रुपये अधिकतम के अध्यधीन प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

6. रेलवे द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा निःशुल्क यात्रा.–(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेल मार्ग या वायु मार्ग या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर या बाहर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पचहत्तर हजार रुपये के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, होगाः

परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो वह वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन द्वारा यात्रा के दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, होगा :

परन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायुमार्ग या लोक परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम वित्तीय वर्ष में पचहत्तर हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद "कुटुम्ब" से पति या पत्नी तथा उनके विवाहित पुत्र और (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा तथा अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री भी इसके अन्तर्गत हैं।

(1–क) प्रत्येक सदस्य, उसके अपने अनुरोध पर, ऐसी यात्रा करने के लिए दस हजार रुपये से अनधिक अग्रिम का हकदार होगा और ऐसा संदत्त अग्रिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समायोजित किया जाएगा, ऐसा न होने पर पूर्ण अग्रिम उसके वेतन और भत्ते से एकमुश्त राशि में वसूल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के अधीन, कुल रकम का अवधारण कराने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 7 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 10–क के अधीन उसी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग या वायुमार्ग द्वारा की गई यात्रा में इस प्रकार उपगत रकम को हिसाब में लिया जाएगा।

(1–ख) दो निःशुल्क अन्तरणीय पास प्रदान किए जाएंगे जो उसको और उसकी पत्नी या उसकी देख–भाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की किसी लोक सेवा यान में किराया और उस पर के यात्री कर का संदाय किए बिना यात्रा करने का हकदार बनाएगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन सदस्यों को जारी की गई कूपन पुस्तकें और निःशुल्क पास उसकी पदावधि के लिए विधिमान्य होंगे और ऐसी अवधि के अवसान पर वे उसके द्वारा सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को अभ्यर्पित कर दिए जाएंगे।

(3) इस धारा की किसी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिस से कोई सदस्य किसी ऐसे यात्रा भत्ते का हकदार न रहे जिसका वह अन्यथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन हकदार है।

6–क. भूतपूर्व सदस्यों को रेल द्वारा या वायुमार्ग अथवा राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा निःशुल्क यात्रा (ट्रांजिट) सुविधा–(1) कोई भी भूतपूर्व सदस्य, अपने पति या पत्नी या उसकी देखभाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति सहित भारत में भी रेल द्वारा भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी किए गए चालू सवारी टैरिफ के अनुसार द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित रेल डिब्बे में किसी भी समय यात्रा करने का हकदार होगा और की गई ऐसी यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर ऐसे उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा :

परन्तु यह कि किसी वित्तीय वर्ष में की गई ऐसी यात्रा पर इस प्रकार उपगत कुल रकम द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित रेल डिब्बे द्वारा पंद्रह हजार किलोमीटर तक की गई यात्रा के लिए संदेय रेल टैरिफ की रकम से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि भूतपूर्व सदस्यों और उसकी पत्नी या पति और उसकी देखभाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति इस प्रतिपूर्ति के विरूद्ध, किसी वातानुकूलित रेल डिब्बा द्वारा यात्रा कर सकेगा :

परन्तु यह और कि भूतपूर्व सदस्य और उसकी पत्नी या पति या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, भारत में वायुमार्ग या लोक

परिवहन द्वारा भी यात्रा कर सकेगा और उस दशा में ऐसी यात्रा के टिकट प्रस्तुत करने ऐसी यात्रा पर उपगत व्यय के बराबर की रकम की प्रतिपूर्ति ऐसे भूतपूर्व सदस्य को की जाएगी और इस प्रकार प्रतिपूरित रकम का समायोजन उसकी रेल द्वारा यात्रा करने की हकदारी के विरूद्ध किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी भी वित्तीय वर्ष में रेल या वायुमार्ग या लोक परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित रेल डिब्बे द्वारा बीस हजार किलोमीटर की यात्रा के लिए संदेय रेल टैरिफ की रकम से अधिक नहीं होगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 13 OF 2015

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2015

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 4.
3. Substitution of sections 4-B and 4-BB.
4. Amendment of section 5-A.
5. Amendment of section 6.
6. Substitution of section 6-A.

Bill No. 13 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2015

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members)Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follow:-

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2015. Short title.

2. In section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), in clause (ii) for the words "one thousand", the words "one thousand five hundred" shall be substituted. Amendment of section 4.

3. For sections 4-B and 4-BB of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of sections 4-B and 4-BB.

"4-B. Constituency, Office and Computer/Data Entry Operator allowance.- (1) There shall be paid to each member a constituency allowance at the rate of sixty thousand rupees per mensem.

(2) There shall be paid to each member an office allowance at the rate of ten thousand rupees per mensem.

(3) There shall be paid to each member an allowance at the rate of twelve thousand rupees per mensem to engage Computer/Data Entry Operator on co-terminus basis.".

Amendment of section 5-A.

4. In section 5-A of the principal Act, for the words "three thousand", the words "five thousand" shall be substituted.

Amendment of section 6.

5. In section 6 of the principal Act, in sub-section (1) and second proviso, for the words "seventy five thousand", the words "two lac" shall be substituted.

Substitution of section 6-A.

6. For section 6-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"6-A. Free transit facility by railway or by air or by State Transport Undertaking to ex-members.—Each ex-member shall be entitled to travel at any time by railway or by air or by State Transport Undertaking by any class within India alongwith his spouse or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets of such journey performed, subject to maximum of one lac rupees in each financial year:

Provided that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by State Transport Undertaking in a financial year shall not exceed one lac rupees.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which the Members of the State Legislative Assembly as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, there has been persistent demand for the revision of their existing emoluments and the Members Amenities Committee has recommended to enhance allowances and other perquisites of Members. As such, it has been decided to accept the recommendations of the said Committee and to enhance Daily Allowance of members from Rs. 1000/- to Rs. 1500/- and to enhance existing limit for reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility from Rs. 75,000/- to Rs. 2,00,000/-. Further, each member shall be entitled to an allowance of Rs. 12,000/- per month to engage Computer/Data Entry Operator on co-terminus basis. In the case of ex-members, now the limit for reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility shall be one lac rupees instead of Railway tariff of twenty thousand kilometres. This has necessitated amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

Shimla:

The....., 2015.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 to 6 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State exchequer to the tune of Rs. 3 crore per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA
(GAD File No. GAD-C –(D)5-1/2015)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2015, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

(DEVENDER KUMAR SHARMA)
Principal Secretary (Law)

Shimla:

The ....., 2015.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971 (ACT NO. 8 OF 1971) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections :

4. Travelling Allowances.—(1) subject to such conditions and limitations as may be imposed by rules made under this Act, there shall be paid to each member:-

(i) such travelling allowance as may be prescribed;

(ii) a halting allowance at the rate of one thousand rupees per day for each day of attendance at a meeting of the Assembly or committee or in respect of journeys undertaken under the orders of the Speaker for any other business anywhere connected with his duties as a member:

Provided that if a member has been ordered to absent himself from a meeting or meetings of the Assembly under the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Himachal Pradesh Assembly for the time being in force, he shall not be entitled to get allowance for such period of absence:

Provided further that a member shall also entitled to halting allowance,-

(a) where he arrives for attending a meeting of Assembly one or two dates earlier to the date on such meeting, or departs from the place of such meeting one or two days immediately after the date on which the Assembly is adjourning sine die for such one or two days, as the case may be, of arrival and departure; and

(b) where he arrives for attending a meeting of a committee one day earlier to the date of such meeting or departs from the place of such meeting one day immediately after the conclusion of the business of the Committee, for such one day of arrival and departure;

(iii) An incidental allowance at the rate of five rupees for the day of departure from and an incidental allowance at the rate of five rupees for the day of arrival at the usual place of residence of the member when he leaves his usual place of residence to attend a meeting and returns thereto after the meeting.

Explanation-I.—Halting allowance shall be admissible to a member for each day of such arrival and such departure irrespective of the time of arrival and departure.

Explanation-II.—A break of less than four days between two successive meetings of the Assembly or Committee shall be deemed to be a day or days of attendance for a member, who does not leave the place of the meeting during such break:

Provided that nothing in this section shall entitle any member to travelling xxxxxxxx allowance if such person ordinarily resides or carries on business at any place within eight kilometres of the place at which his attendance is required in connection with his duties as member.

(2) A member who does not wish to draw the halting allowance at the rate of one thousand per day as provided in sub-section (1), shall be entitled an allowance at rate of twenty-five rupees for each day during any period residence on duty from the 25th day of January, 1971, till the dissolution of the existing Assembly and in such case the provisions of clauses (ii) and (iii) of sub-section shall not apply.

Explanation-I.—For this purpose of this sub-section "period of residence on duty" means the period during which a member resides at a place where a session of the Assembly or a sitting of the Committee is held or where any other business connected with his duties as such member is transacted, for the purpose of attending such session or sitting or for the purpose of attending to such other business, and includes, except in the case of a member who ordinarily resides at a place where a session of the Assembly or a sitting of the Committee is held or where any other business connected with his duties as such is transacted-

(i) in case of a session of the Assembly, a period of such residence, not exceeding three days immediately preceding the commencement of the session and a period of such residence, not exceeding three days, immediately succeeding the date on which the Assembly is adjourned sine die or for a period exceeding seven days; and

(ii) in the case of a Committee or any other business, a period of such residence, not exceeding two days immediately preceding the commencement of the business of the Committee or other business and a period of such residence, not exceeding two days, immediately succeeding the conclusion of the business of the Committee or other business.

Explanation-II.—Daily allowance shall be admissible to a member for each day of residence on duty irrespective of the time of arrival and departure.

4-B. Constituency Allowance.—There shall be paid to each member a constituency allowance at the rate of sixty thousand rupees per mensem.

4-BB. Office Allowance.—There shall be paid to each member an office allowance at the rate of ten thousand rupees per mensem.

5-A. Water and Electricity Allowance.— Every member shall, on the production of actual payee's receipt, be entitled to the reimbursement of the amount of electricity and water charges bill paid by him subject to a maximum of three thousand rupees per mensem.

6. Free transit by railway or by air or by State Transport undertaking.—(1) Each Member during the term of his office shall be entitled to travel at any time by railway or by air or by State transport Undertaking by any class within or outside the country along with his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets of such journey performed, subject to maximum of seventy five thousand rupees in each financial year.

Provided that the member while on official tour shall also be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred by his family or any other person accompanying him to look after and assist him during travel by air or by rail or by public transport on production of tickets for such journey performed.

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by public transport in a financial year shall not exceed seventy five thousand rupees.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, expression "family" shall mean the spouse their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

(1-A) Each Member shall be entitled for an advance not exceeding rupees ten thousand on his request to undertake such journey and the advance so paid shall be adjusted before the closing of financial year, failing which the entire advance shall be recovered from his salary and allowances in lump-sum.

Explanation.—For determining the aggregate amount so incurred on such journey under this section, the amount so incurred in the same financial year by journey performed by railway or air under section 7 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000, or under section 10-A of Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 shall be taken into account.

(1-B) Each Member shall be provided with two free non-transferable passes which shall entitle him and his wife or any other person accompanying him to look after and assist him to travel

at any time without payment or fare and passenger tax thereon by any public vehicle of the Himachal Road Transport Corporation.

(2) The free passes issued to a member under sub section (1) shall be valid for the terms of his office and on the expiration of such term these shall be surrendered by him to the Secretary of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

(3) Nothing in this section shall be construed as disentitling a member to any travelling allowance to which he otherwise entitled under the provisions of this Act or rules made thereunder.

6-A.—Free transit facility by railway or by air or by State Transport Under taking to ex-members.—An ex-member shall be entitled to travel by second class air conditioned railway coach, at any time, any railway in India, as per current coaching tariff, issued by the Government of India, Ministry of Railways (railway Board), along with his spouse or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets of such journey performed :

Provided that the aggregate amount so incurred on such journey, in any financial year, shall not exceed the amount of railway tariff payable for fifteen thousand kilometres journey performed by second class air conditioned railway coach:

Provided further that an ex-member and his spouse or any other person accompanying him to look after and assist him may travel by any air conditioned railway coach against this reimbursement:

Provide further that journey may also be performed within India by air or by public transport by an ex-member and his spouse or any other person accompanying him to look after and assist him during travel and in that even an amount equivalent to the expenses incurred on such journey shall be reimbursement to such ex-member on production of tickets of such journey and the amount so reimbursed shall be adjusted against his entitlement to travel by rail:

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by public transport in a financial year shall not exceed the amount payable for twenty thousand kilometres by second class air conditioned railway coach.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला–82–जुड़ / 2015–8–4–2015—250.